

फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा
प्रार्थी- वगता **विपक्षी- भेरा वगेरह**
किस्म मुकदमा- वाद **पत्रावली संख्या- 144/18**

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
17.02.20	<p>वादी मय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा मिसल तलबी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर पत्रावली सीगे से तलब होकर पेश हुई। तहसीलदार नाथद्वारा से प्राप्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अधिवक्ता वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री जारी किये जाने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है:-</p> <p>वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम घोडच, तहसील नाथद्वारा की जमाबन्दी संवत् 2072-75 की आराजी सं. 2040 रकबा 0-11 बीघा लगान 5.05/- आराजी सं. 2043 रकबा 0-03 बीघा लगान 0.15/- आराजी सं. 2044 रकबा 0-16 बीघा लगान 3.25/- आराजी सं. 2048 रकबा 0-19 बीघा लगान 0.95/- कुल आराजी किता 4 कुल रकबा 2-09 बीघा कुल लगान 9.40/- में वगता पिता खेमा 1/3 पेमा पिता नोजा 1/3 नानीबाई पत्नी पेमा 1/3 मेघवाल निवासी घोडच एवं आराजी सं. 1465 रकबा 1-02 बीघा लगान 4.95/- आराजी सं. 1490 रकबा 0-19 बीघा लगान 4.28/- आराजी सं. 2041 रकबा 0-10 बीघा लगान 5.00/- आराजी सं. 2042 रकबा 0-12 बीघा लगान 0.6/- आराजी सं. 2279 रकबा 0-06 बीघा लगान 0.24/- कुल आराजी किता 5 कुल रकबा 3-09 बीघा कुल लगान 15.07/- में भेरा भंवरा पिता अमरा नानीबाई बेवा अमरा 59/138 तुलसीराम पुष्करलाल कंचन सतु पिता लोगर काली पत्नी लोगर नकारी बाई पत्नी मोहन बलाई 59/138 शांता पिता राजकुमार 10/69 सा. देह खातेदार के नाम अलग-अलग खाते दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर अंतिम डिक्री जारी हो। नक्शा ट्रेस डिक्री का भाग रहेगा।</p> <p>यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(अभिषेक गोयल) सहायक कलक्टर (S.D.O.) नाथद्वारा, जिला राजसमन्द</p>	

